यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः—चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
दमा नम्बर :—22/2018 प्रार्थना पत्र
भैरूलाल पिता कालूलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा तहसील व
ना भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————प्रार्थी

बनाम

ी नारायण पिता सवाईराम गूजर, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
ी मांगू पिता गोकल कुमावत, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
ो मांगू पिता किशोर गूजर, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)
ो लादूलाल पिता श्री किशन गूजर, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा(राज0)
ा गुलाब पिता नंदराम गूजर, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
बक्षू पिता नंदराम गूजर, उम्र बालिग निवासी राजपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
जस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—19.2.2018

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व यम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम राजपुरा पटवार रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 70 में स्थित हाल आराजी नम्बर कबा 10 बिस्वा, 554 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 559 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा ा 03 बिस्वा तथा खाता संख्या 71 में स्थित हाल आराजी नम्बर 169/2 रकबा 8 बिस्वा, 171 3 बिस्वा, 555/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 560/2 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद ा होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी ये पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। शामिल पत्रावली किये गये। किन्तु विपक्षीगण संख्या 1 से 7 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं के कारण दिनांक 16.2.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा नी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम राजपुरा पटवार हल्का रामपुरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 70 में स्थित हाल आराजी नम्बर 330 रकबा 10 बिस्वा, 554 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 559 रकबा बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा तथा खाता संख्या 71 में स्थित हाल आराजी म्बर 169/2 रकबा 8 बिस्वा, 171 रकबा 3 बिस्वा, 555/2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 560/2 रकबा 5 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने ा आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 700/–रूपये मिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी ये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19.2.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner